न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 104/2013

आरसीएमएस नं. 2013/00043

1. सरबती पुत्री जगमाल पत्नी लिछमणराम जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ–मृतक

1/1 राजेन्द्र पुत्र श्री लिछमणराम जाति जाट निवासी सालीवाला

1/1/1 कलावती आयु 56 वर्ष पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

1/1/2 रेणूका आयू 31 वर्ष पुत्री राजेन्द्र पत्नी जयदीप सिहाग जाति जाट निवासीस रिद्धि–सिद्धी कॉलोनी फेस–1 तहसील श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर

1/1/3 उदित गोदारा आयु 27 वर्ष पुत्र राजेन्द्र जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

1/2 इन्द्राज पुत्र लिछमणराम
1/3 भूप सिंह पुत्र लिछमणराम
1/4 महावीर पुत्र लिछमणराम
1/5 श्योकरण पुत्र लिछमणराम
} जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील संगरिया जिला हनुमागनढ।

1/6 महेन्द्र पुत्री लिछमणराम पत्नी महावीर भादू जाति जाट निवासी 18 एस. पी.डी. बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

1/7 उर्मिला पुत्री लिछमणराम पत्नी प्रदीप रणवा जाति जाट निवासी वारेका तहसील फाजिल्का।

1/8 सन्तोष पुत्री लिछमणराम पत्नी रण सिंह जाति जाट निवासी वारेका तहसील फाजिल्का, जिला फाजिल्का।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

——अपीलार्थी

बनाम

1. दलीप पुत्र जगमाल जाति जाट निवासी खिवेवाली ढावा तहसील फाजिल्का फिरोजपुर, पंजाब
2. सोहनलाल पुत्र श्री जगमाल जाति जाट निवासी चक 2 टी.के.डल्यू. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ–मृतक

   2/1 विद्या देवी आयु 70 वर्ष पत्नी सोहनलाल जाति जाट निवासी 2 टीकेडबल्यू तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।

   2/2 अनिल कुमार आयु 50 वर्ष पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी 2 टीकेडबल्यू तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।

   2/3 चन्द्रकला आयु 48 वर्ष पुत्री सोहनलाल पत्नी औमप्रकाश पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी मन्नावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

   2/4 राजेश्वरी आयु 46 वर्ष पुत्र सोहनलाल पत्नी सुनील भूवाल पुत्र मामराज जाति जाट निवासी खोथावाली तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।

   2/5 हंसराज आयु 44 वर्ष पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी 2 टीकेडबल्यू तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।

   2/6 सरीता आयु 40 वर्ष पुत्री सोहनलाल पत्नी सतपाल सहारण पुत्र रजीराम जाति जाट निवासी डबली बास पैमा तहसील व जिला हनुमानगढ।

   2/7 प्रहलाद आयु 38 वर्ष सोहनलाल जाति जाट निवासी 2 टीकेडबल्यू तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमागनढ।

—रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी ★ हनुमानगढ़ (राज.) ★

Scanned with OKEN Scanner

विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
दिनांक 28.07.2006 प्रकरण संख्या 68/2005
अनवान दलीप बनाम सोहनलाल आदि

श्री कुलदीप सिंह धालीवाल अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री खुशकरण सिह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 3

निर्णय दिनांक 8.3.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया। प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि उनकी माता श्रीमति किस्तूरी देवी के नाम चक 36 एल.एल.डब्ल्यू. के प. नं. 18/230 का किला नं. 12 से 18 व प. नं. 18/231 का किला नं. 1 ता 15 की 22 बीघा नहरी कृषि भूमि थी। किस्तूरी देवी ने अपने जीवनकला में एक वसीयत दिनांक 02.06.2005 को प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित करवा दी। जिसमें किस्तूरी देवी ने प्रार्थी को चक 36 एल.एल.डब्ल्यू. के प. नं. 18/230 का किला नं. 16 ता 18 व प. नं. 18/231 का किला नं. 1 से 10 कुल 13 बीघा भूमि दी थी। वसीयत के आधार पर वर्णित 13 बीघा भूमि एवं शेष प. नं. 18/230 का किला नं. 12 से 15 व प. नं. 18/231 का किला नं. 11 से 15 की कुल 9 बीघा भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 व 2 को विरास्त में ब.हि. बराबर प्राप्त हुई है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि में से 16 बीघा का एवं अप्रार्थी सं0 1 व 2 संयुक्त रूप से 6 बीघा के हकदार हैं। परन्तु अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियों के साथ सांठ गांठ करके प्रार्थी को सूचना दिये बिना अपने हक व हिस्से से ज्यादा भूमि का अंकन राजस्व रिकार्ड में अपने नाम करवा लिया है जिससे प्रार्थी के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलंन्दाजी नहीं करने का अनुतोष मांगा।

2. अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब पेश किया कि किस्तूरी के नाम दर्ज 22 बीघा भूमि किस्तूरी देवी की स्वअर्जित सम्पति नही थी अपितु प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पिता जगमाल द्वारा संयुक्त परिवार की आय से किस्तूरी देवी के नाम खरीद की गई सम्पति थी जिसकी किसी भी प्रकार से वसीयत करने का अधिकार किस्तूरी देवी को नहीं था। किस्तूरी देवी लकवे से ग्रस्त हो चुकी थी जिसकी मानसिक व शारीरिक स्थिति कमजोर थी उसे अपने भले बुरे का ज्ञान नहीं था। विवादित 22 बीघा भूमि में से 13 बीघा भूमि पर प्रार्थी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा। किस्तूरी देवी के नाम दर्ज भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 व 2 के नाम ब.हि.बराबर दर्ज हो चुकी है एवं प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 व 2 का विवादित भूमि पर ब.हि.बराबर पर कब्जा काश्त है। प्रार्थी का 13 बीघा भूमि का किसी रूप से कब्जा रखने का अधिकारी नहीं होने अप्रार्थीगण की विवादित संयुक्त खाता की भूमि होने से प्रार्थी के पक्ष में किसी रूप में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति के बिन्दू उसके पक्ष में नहीं है। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे।

3. विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

4. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 तो 2/7 की तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया अपीलाण्ट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय कतई गलत व विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय करते समय प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दूओं पर निर्णय नहीं किया। अधीनस्थ न्यायलाय में प्रार्थी के पक्ष में प्रार्थी के किन किन किलों पर

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी का कब्जा है के बिना किसी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के अभाव में प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 18.10.2005 को जारी यथास्थिति के आदेश को ताफैसला वाद करने कोई आधार लेखबद्ध किये बिना ही अपीलाण्ट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही निर्णय पारित किया है। प्रार्थी का प्रश्नगत भूमि पर कितना हक व हिस्सा है का निर्धारण किये बिना एवं ऐसे किसी उल्लेख के बिना ही मनमाने ढंग से अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र का निस्तारण किया है। अपील जानकारी से अंदर मियाद है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. अधीनस्थ न्यायलाय में रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र कर स्वर्गीय किस्तूरी देवी द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर वर्णित 13 बीघा भूमि एवं शेष प. नं. 18/230 का किला नं. 12 से 15 व प. नं. 18/231 का किला नं. 11 से 15 की कुल 9 बीघा भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 व 2 को विरास्त में ब.हि. बराबर प्राप्त हुई है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि में से 16 बीघा का एवं अप्रार्थी सं0 1 व 2 संयुक्त रूप से 6 बीघा के हकदार होना बताया था। विचारण न्यायलाय ने सरबती देवी की माता किस्तूरी देवी पत्नी जगमाल की कथित वसयीत दिनांक 02.06.2005 के आधार रेस्पो0 सं0 1 दलीप को उक्त भूमि का वसीयत के आधार स्वामी मानते हुए आदेश पारित किया था। अपीलांट द्वारा अपील में प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत माननीय सिविल न्यायाधीश पीलीबंगा में उक्ज वसीयत को चुनौती देते हुए

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अनवान सोहन लाल बनाम दलीप आदि सिविल वाद प्रकरण सं0 28/2006 प्रस्तु किया था जिसका निर्णय दिनांक 16.03.2011 को किया गया जिसमें किस्तूरी देवी की वसीयत को प्रवृतहीन, अकृतय व शुन्य घोषित किया जाकर वाद वादी डिक्री किया है। ऐसी स्थिति में जबकि प्रश्गनत वसीयत ही प्रवृतहीन, अकृतय व शून्य घोषित हो चुकी जिसके आधार पर यह रेस्पोडेण्ट ने धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना–पत्र पेश किया था जो खारिज योग्य है एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.07.2006 अपास्त किया जाता है एवं रेस्पोडेण्ट का अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 3.3.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

3/3/23

(करता सिंह पूनिया)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner